कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर

वाहन नीलामी की सूचना (विज्ञप्ति)

क्रमांक फा.क्रं. 12/स्टोर/रा.वि.से.प्रा./4394/26 जबलपुर, दिनांक 28/01/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन क्रमांक–एम.पी. 02 ए.व्ही. 2787 टाटा इंडिगो एवं एम.पी. 02 ए.व्ही. 1416 मारूती वर्सा का खुली नीलामी द्वारा विक्रय किया जाना है।

नीलामी दिनांक–23/2/26 को दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574 साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर में निम्न शर्तों के अधीन की जावेगी:–

क्रं.	वाहन क्रमांक	वाहनों का प्रकार एवं मॉडल	वाहन की ऑफसेट कीमत राशि रू	ऑफसेट कीमत की 10 प्रतिशत राशि	वाहन कहॉ रखा हुआ है।
01	M.P. 02 AV 2787	टाटा इण्डिगो, 2010 मॉडल	42,000/-	4,200/-	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
02	M.P. 02 A.V. 1416	मारूती वर्सा, 2010 मॉडल	40,000/-	4,000/-	

01. वाहन जहॉ है जैसा है की शर्त पर नीलाम किया जावेगा। वाहन का अवलोकन, इच्छुक खरीददार कार्यालय समय में विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से नीलामी के एक दिवस पहले तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य किसी भी समय स्वयं उपस्थित होकर कर सकते है।
02. वाहनों के देखने के लिये स्टोर प्रभारी से कार्यालयीन समय में संपर्क स्थापित कर वाहनों को देखा जा सकता है।
03. दोनों वाहनों को एक साथ क्रय करने हेतु नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं है। किसी भी एक वाहन के लिये भी नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।
04. मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधिनस्थ कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी उक्त निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
05. वाहन के परिवहन (कार्यालय से ले जाने) हेतु किसी भी प्रकार का कोई भाड़ा आदि इस प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा।

निरन्तर पृष्ठ क्रमांक–2

06. वाहन के केता को वाहन की ऑफसेट मूल्य की 10 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया जाना होगा उसके उपरांत ही नीलामी प्रकिया में भाग लिया जा सकता है। धरोहर राशि जमा न करने वाले केता को वाहन नीलामी संबंधी प्रकिया में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

07. वाहन अवलोकन पश्चात् वाहन कय करने के इच्छुक केता को वाहन कय हेतु नीलामी के समय ऑफसेट मूल्य से बोली लगाया जाना अनिवार्य होगा।

08. वाहन का अधिकतम मूल्य लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा धरोहर राशि में रूप में जमा राशि को वाहन के मूल्य में समायोजित किया जावेगा तथा शेष लोगों की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् उनके द्वारा अपनी वैधानिक पहचान दिखाने के उपरांत उन्हें वापस कर दी जावेगी।

09. वाहन का उच्चतम मूल्य लगाने वाले व्यक्ति को वाहन का सम्पूर्ण मूल्य तत्काल अथवा अगले कार्य दिवस पर विभागीय राजस्व आय शीर्ष 26–सोशल वेलफेयर–0235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–60–विविध आय–800–अन्य प्राप्तियॉ–0000–विविध में शासन के पक्ष में ई–चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात विकयशुदा वाहन की सुपुर्दगी दी जाएगी एवं विकयशुदा वाहन उच्च बोली कर्ता के व्यय पर मूल्य जमा किये जाने उपरांत तत्काल अथवा अगले कार्य दिवस में उठाना होगा अन्यथा जमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी। इस हेतु सदस्य सचिव म.प्र. रा.वि.से.प्रा. का निर्णय अंतिम होगा।

10. यदि उच्च बोली लगाने वाला निर्धारित समय सीमा में संपूर्ण राशि जमा नहीं करता है तो उस स्थिति में द्वितीय उच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति को 03 दिवस के अंदर राशि जमा करने पर वाहन विकय किया जावेगा।

11. यदि द्वितीय उच्च बोली लगाने वाला व्यक्ति वाहन कय हेतु उपस्थित नहीं होता है या असहमति व्यक्त करता है तो वाहन की दुबारा नीलामी की जावेगी।

12. वाहन की संतोषजनक कीमत प्राप्त न होने पर सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बिना किसी कारण बताये नीलामी स्थगित करने का अधिकार होगा तथा अंतिम बोली स्वीकार करने का अधिकार भी सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होगा।

13. वाहन केता पर वाहन कय विकय के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के नियम प्रभावशील होंगे भले ही उनका उल्लेख इस निविदा में न किया गया हो।

निरन्तर पृष्ठ कमांक–3

14. नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले क्रेताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्ते स्वीकार है।
15. वाहन क्रेता यदि वाहन को चलाता है तो, वाहन का नवीन पंजीयन/हस्तांतरण/नामांतरण, टैक्स जमा करना, बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं को करना होगा जिनका व्यय क्रेता को स्वयं वहन करना होगा एवं समस्त वैधानिक कार्यवाहीयों की पूर्ति कराकर दस्तावेजों की छायाप्रति राज्य प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होगा।
16. यदि वाहन का पंजीयन/नवीनीकरण नहीं कराया जाना है और वाहन को स्क्रेप किया जाना है, तो उस स्थिति में शासन के नियमानुसार पंजीकृत स्क्रेपर से स्क्रेप करवाया जाकर प्रमाण–पत्र इस प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
17. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट स्टोर अनुभाग मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में क्रेता द्वारा जमा की जावेगी।
18. वाहन विक्रय संबंधी कार्यवाही में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
19. उक्त विज्ञप्ति मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाईट **madhyapradesh.nalsa.gov.in** पर उपलब्ध है एवं विस्तृत विवरण उक्त बेवसाईट के माध्यम से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

Suman 28/01/2026
(सुमन श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव

पुराने वाहन विकय करने हेतु दर प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

प्रपत्र–एक

व्यक्ति/फर्म/एजेंसी का नाम	
पूर्ण पता	
टेलीफोन/मोबाईल नम्बर	
आधार कार्ड नम्बर	
पेन कार्ड नम्बर	
जी.एस.टी. नम्बर (यदि हो तो)	

नोटः–निविदाकार द्वारा निविदा के साथ पते संबंधी दस्तावेज (राशन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र आदि की सत्यापित प्रति) पत्राचार के साथ उपलब्ध कराना होगा।

(2) मैं/हम उक्त वाहन को कय करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को अधिकतम दर प्रस्तुत कर रहे हैं।

क्रं.	वाहन कमांक	वाहनों का प्रकार एवं मॉडल	राशि रू	राशि शब्दों में

(3) मैंने/हमने निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया है, जिसमें विशेष रूप से मेरे द्वारा जमा करने वाली अमानत राशि की शर्तें भी शामिल है तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो शर्तें रखी गई हैं उससे मैं/हम सहमत हैं तथा इसमें किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर का निर्णय मुझे मान्य होगा।

(4) निविदा प्रपत्र में जो अमानत राशि को राजसात करने के जो नियम एवं शर्तें हैं उससे मैं सहमत हूँ जो कि निविदा के नियम एवं शर्तों का भाग है। टेण्डर कमांक–––––––––– दिनांक––––––––––के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार अगर मैं उच्चतम निविदाकार रहता हूँ तो राशि राजसात करने की शर्त से मैं/हम सहमत हैं।

(5) मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि कय किये गये वाहन के संबंध में निविदा में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थानः– निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक निविदाकार का नाम

पुराने वाहन विक्रय करने हेतु दर प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

प्रपत्र–दो

व्यक्ति/फर्म/एजेंसी का नाम	
पूर्ण पता	
टेलीफोन/मोबाईल नम्बर	
आधार कार्ड नम्बर	
पेन कार्ड नम्बर	
जी.एस.टी. नम्बर (यदि हो तो)	

नोटः–निविदाकार द्वारा निविदा के साथ पते संबंधी दस्तावेज (राशन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र आदि की सत्यापित प्रति) पत्राचार के साथ उपलब्ध कराना होगा।

(2) मैं/हम उक्त वाहन को क्रय करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को अधिकतम दर प्रस्तुत कर रहे हैं।

क्रं.	वाहन क्रमांक	वाहनों का प्रकार एवं मॉडल	राशि रू	राशि शब्दों में

(3) मैंने/हमने निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया है, जिसमें विशेष रूप से मेरे द्वारा जमा करने वाली अमानत राशि की शर्तें भी शामिल है तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो शर्तें रखी गई हैं उससे मैं/हम सहमत हैं तथा इसमें किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर का निर्णय मुझे मान्य होगा।

(4) निविदा प्रपत्र में जो अमानत राशि को राजसात करने के जो नियम एवं शर्तें हैं उससे मैं सहमत हूँ जो कि निविदा के नियम एवं शर्तों का भाग है। टेण्डर क्रमांक———————— दिनांक————————के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार अगर मैं उच्चतम निविदाकार रहता हूँ तो राशि राजसात करने की शर्त से मैं/हम सहमत हैं।

(5) मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि क्रय किये गये वाहन के संबंध में निविदा में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

स्थानः–

निविदाकार का नाम

दिनांक